



अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर

ENGINEERING COLLEGE BARMER
(AN AUTONOMOUS INSTITUTION OF GOVT. OF RAJASTHAN)

Email : gec.barmer@rajasthan.gov.in

www.gecbarmer.ac.in



महाविद्यालय के विभिन्न संवर्गों (श्रेणियों) में कार्मिक संवेदक के माध्यम से अनुबन्ध पर
उपलब्ध कराने हेतु ई-निविदा प्रपत्र

:: प्रपत्र – (अ) :: तकनीकी प्रस्ताव की शर्तें

1. कार्य का विवरण : अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर के विभिन्न संवर्गों (श्रेणियों) में कार्मिक
संवेदक के माध्यम से (कुल संभावित संख्या 28 कार्मिक) अनुबन्ध पर उपलब्ध कराने हेतु।
कार्मिकों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है।

2. संदर्भ : निविदा सूचना क्रमांक दिनांक

3. ठेके की अनुमानित लागत : ₹. 39,06,000 /—

4. प्रार्थनापत्र प्रस्तुतकर्ता/फर्म का नाम :

फोन नं./मोबाईल नं. फैक्स नं.

ई मेल पता

5. पंजीयन संख्या एवं दस्तावेज (सत्यापति छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आय कर (PAN Number)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

6. अनुबन्ध की अवधि : कार्य आरम्भ होने से एक वर्ष तक के लिए।

7. निविदा शुल्क राशि रु. 500/- डी.डी./बैंकर चैक सं. दिनांक

8. अमानत राशि (EMD) रु. 78,120/- डी.डी./बैंकर चैक सं. दिनांक

9. ई-टेंडर प्रक्रिया शुल्क राशि 500/- रु का डी.डी./बैंकर्स चैक जो कि Managing Director, RISL Payble at Jaipur देय हो एवं साथ ही आवेदन पत्र/निविदा शुल्क राशि 500/- रु. का डी.डी./बैंकर्स चैक जो कि प्राचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर के नाम से देय होगा। निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।

10. बिडदाता फर्म का केवल राजकीय, अर्धशासकीय एवं स्वायत्तशापी संस्थानों में तकनीकी संवर्ग, मंत्रालयिक संवर्ग, सहायक संवर्ग इत्यादि कार्मिक उपलब्ध करवाने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। जिसमें किसी भी वर्ष में कार्मिकों की संख्या 30 से कम न हो। जिस संस्था में कार्य किया उसका अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसमें कार्मिकों की संख्या इंगित हो। कार्य आदेश मान्य नहीं होगा। कार्यादेश के द्वारा केवल कार्मिकों की संख्या का पता किया जायेगा।
11. बिडदाता फर्म का गत 3 वर्षों में से कम से कम एक वित्तीय वर्ष में 50.00 लाख का टर्नओवर होना आवश्यक है। बिडदाता को निविदा के साथ इस संबंध में सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
12. सम्बन्धित कार्य में बिन्दु संख्या 5 के अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक है।
13. बिडदाता फर्म/संस्था होने की स्थिति में सभी भागीदारों द्वारा तथा प्रबंधियों के नाम पते देने होंगे तथा फर्म की भागीदारी डीड/संस्था के संविधान व उद्देश्यों की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
14. निविदादात फर्म को अमानत राशि (EMD) के रूप में रु 78,120/- एवं निविदा शुल्क राशि 500/- का डी.डी./बैंकर चैक जो प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर के पक्ष में देय एवं ई-टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि रु 500/- का डी.डी./बैंकर चैक MD RISL Payble at Jaipur का संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि ई-टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि एवं निविदा शुल्क राशि के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
15. निविदादाता फर्म द्वारा रु. 100/- के स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा उसके द्वारा समस्त निविदा को भलीभांति पढ़ लिया गया है एवं संस्था/ फर्म का कोई भी निदेशक/प्रबन्धन/प्रोपराईटर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं है तथा इसकी फर्म को किसी भी विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है।
16. तकनीकी निविदा में सफल बिडदाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
17. निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट 1, 2 को भरना अनिवार्य है।
18. निविदा में संलग्न कुल पृष्ठों की संख्या 18 है।


 प्राचार्य Principal
 अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर
 Engineering College
 Baermer

मैंने तकनीकी प्रस्ताव की सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मैं इन सभी शर्तों से सहमत हूँ।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील पूर्ण पता एवं दिनांक



अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर

ENGINEERING COLLEGE BARMER
(AN AUTONOMOUS INSTITUTION OF GOVT. OF RAJASTHAN)

Email : gec.barmer@rajasthan.gov.in

www.gecbarmer.ac.in



महाविद्यालय के विभिन्न संवर्गों (श्रेणियों) में कार्मिक अनुबन्ध पर उपलब्ध कराने हेतु ई-निविदा प्रपत्र

:: प्रपत्र – (ब) :: वित्तीय प्रस्ताव की शर्तें

1. वित्तीय प्रस्ताव के संबंध में निविदादाओं को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय प्रस्ताव हेतु दरे केवल Excel Sheet (BOQ Sheet) में ही भरें।
2. न्यूनतम 2.50% सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से फर्म को चार्ज करना होगा।
3. पी.एफ., राशि वस्तु एवं सेवा कर (GST) एवं ESI सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा।
4. राज्य सरकार के श्रम विभाग के द्वारा समय-समय पर परिवर्तित श्रम दरे उनके प्रकाशन उपरान्त निर्धारित प्रभावी होने की तिथि से नियमानुसार लागु होगी।
5. राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम दर प्रस्तुत करने वाले बिडदाता की निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. पी.एफ. व वस्तु सेवा कर (GST) एवं ESI से संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित दर से कम/ज्यादा दर प्रस्तुत करने वाले बिडदाता की निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

मैंने वित्तीय प्रस्ताव की सभी शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है। मैं इन सभी शर्तों से सहमत हूँ।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय पूर्ण पता एवं दिनांक

4


Principal
Engineering College
Barmer

ई-निविदा की शर्तें

1. इस निविदा के माध्यम से संवेदक से अनुबन्ध अवधि कार्य आरम्भ होने से एक वर्ष के लिए होगी जिसे आपसी सहमति से छः-छः माह के लिए तत्कालीन आवश्यकता एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम दो बार बढ़ाया जा सकता है। निविदा के नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2. बिडदाता को श्रम विभाग व अन्य संबंधित विभागों से पंजीकरण की औपचारिकताएँ स्वयं को पूर्ण करनी होगी।
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
4. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
5. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित कार्मिकों/श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। कार्मिकों/श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
6. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार कार्मिकों/श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
7. का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

8. संवेदक को राज्य सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित कार्मिकों/श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे कार्मिकों/श्रमिकों के ई.पी.एफ व ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
9. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति हेतु हेल्पलाइन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
10. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत समस्त कार्मिकों/श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
11. संवेदक द्वारा कार्मिकों/श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
12. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

13. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये कार्मिकों/श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
14. नियोजित कार्मिकों/श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
15. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की श्रतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
17. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यदेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
18. राजस्थान सरकार वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017, जयपुर, दिनांक 30/04/2018, संख्या 1/2018 की अनुपालना संवेदक को करना अनिवार्य है।
19. ठेका प्रारम्भ करने से पूर्व विधि मान्य 500/- रुपये का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर विभाग द्वारा प्रदत्त विवरण के अनुसार निर्धारित पत्र में इकरारनामा 7 दिवस में सम्पादित करना होगा। बिना इकरारनामा सम्पादित किये ठेका प्रारम्भ नहीं किया जावेगा।

20. ठेका स्वीकृत होने के पश्चात् सफल बिडदाता को कुल कॉन्ट्रैक्ट राशि का 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में जमा करानी होगी। जिसमें जमा अमानत राशि (EMD) का समायोजन किया जा सकता है।
21. अमानत राशि (EMD)/सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
22. बिडदाता को कार्य आवंटन की समस्त शर्तों की पूर्ति कर निश्चित समय पर व तिथि को कार्य आरम्भ करना होगा अन्यथा उसकी अमानत राशि (EMD) व सुरक्षा राशि को कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
23. प्रत्येक माह कार्मिकों की उपस्थिति प्रत्येक विभाग/कार्यालय के प्रभारी/इन्चार्ज द्वारा प्रमाणित होने पर ही भुगतान किया जावेगा। उपस्थिति विलम्ब से प्रमाणित कराये जाने के लिए स्वयं ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
24. ड्यूटी पर किसी भी प्रकार की अभद्रता/लापरवाही/आदेश की अवहेलना/किसी भी प्रकार का नशा सेवन या अन्य किसी प्रकार अनुशासनहीनता करने पर कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त किया जा सकता है।
25. ठेकेदार को कारखाना अधिनियम/ठेका श्रमिक अधिनियम/भविष्य निधि कानून/न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम/व्यवसाय कर व अन्य संबंधित अधिनियम, राज्य सरकार के निर्देशों/परिपत्रों की पालना करना अनिवार्य होगा।
26. ठेकेदार के बिलों से आयकर/व्यवसाय कर की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
27. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना से कार्मिकों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार की होगी, इस हेतु ठेकेदार को सभी कर्मचारियों का बीमा कराना आवश्यक होगा।
28. ठेकेदार द्वारा नियोजित कार्मिकों द्वारा किये गये किसी भी प्रकार के नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से काटी जावेगी।
29. ठेकेदार द्वारा किसी भी कानून की अनुपालना न करने पर/ सही ढंग से न करने पर यदि इस कार्यालय को कोई हर्जाना या कानूनी दायित्व का वहन करना पड़ता है तो उक्त खर्च की समस्त वसूली ठेकेदार से ही की जावेगी। कार्मिक से संबंधित किसी भी तरह का दायित्व जो भी हो तो बिडदाता/संवेदक का होगा।

30. ठेका कार्य स्वीकार/अस्वीकार या इसकी अवधि घटाने-बढ़ाने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।
31. निविदा/प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों व उपबन्धों के निर्वाचन के संबंध में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।
32. ठेकेदार व कार्यालय/विभाग के मध्य होने वाले समस्त विवाद के निपटारे हेतु न्याय क्षेत्र बाड़मेर होगा।
33. अनुबंध की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा, तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के विरुद्ध सफल बिडदाता इस प्रकार के निर्णयों के लिए किसी भी न्यायालय में कोई उत्तरात/अरज करने के अधिकारी नहीं होंगे।
34. बिडदाता द्वारा सफल होने पर कार्यादेश के 15 दिवस के अन्दर कार्मिकों का बायोडाटा मय फोटो एवं आधार कार्ड की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा जो कि निविदा के साथ संलग्न योग्यतानुसार होने पर ही स्वीकार किया जायेगा।
35. रेक्सको द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा स्थाई भर्ती द्वारा पूर्ति होने पर महाविद्यालय ठेके के अन्तर्गत किसी भी समय कार्मिकों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है अथवा अनुबंध भंग किया जा सकता है।
36. महाविद्यालय द्वारा ठेकेदार को कार्मिकों का भुगतान प्रतिमाह चैक के माध्यम से किया जावेगा एवं ठेकेदार को भुगतान मिलने के 3 दिवस में कार्मिकों का भुगतान उनके बैंक खाते में जमा कराना होगा।
37. अमानतराशि को निम्नलिखित स्थितियों में जब्त कर लिया जायेगा :-
- जब बिडदाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकृत करने से पूर्व प्रस्ताव वापस लेता है अथवा उसमें संसोधन करता है।
 - जब बिडदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अनुबंध नहीं करता है।
 - जब बिडदाता द्वारा निर्धारित अवधि में सुरक्षा राशि जमा नहीं करायी जाती है।

38. सफल निविदा का चयन बिडदाता (Bidder) द्वारा निविदा की कुल न्यूनतम राशि (With taxes) समान प्रस्तुत की जाती है तो कुल न्यूनतम राशि (With taxes) समान प्रस्तुत करने वाली फर्म के टर्न ऑवर के आधार पर सफल निविदा का चयन किया जाएगा।

नोट :- 39 के क्रम में अधिकतम टर्न ऑवर वाली फर्म को सफल निविदा माना जायेगा।

39. अगर दो या दो से अधिक बिडदाता (Bidder) द्वारा निविदा की कुल न्यूनतम राशि (With taxes) समान प्रस्तुत की जाती है तो कुल न्यूनतम राशि (With taxes) समान प्रस्तुत करने वाली फर्म के टर्न ऑवर के आधार पर सफल निविदा का चयन किया जाएगा।

नोट :- 39 के क्रम में अधिकतम टर्न ऑवर वाली फर्म को सफल निविदा माना जायेगा।

40. संवेदक द्वारा नियुक्त कार्मिकों/श्रमिकों का पूर्व में पीएफ खाता संचालित है तो उसी खाते का प्रयोग कर संवेदक द्वारा पीएफ राशि जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

41. उक्त निविदा में RTPP Ruls 2013 एवं जी.एफ. एण्ड ए आर के प्रावधान लागू होंगे।

42. बिडदाता द्वारा अलग-अलग श्रेणियों के लिए पृथक से निविदा दी जा सकती है या संकलित रूप से भी दी जा सकती है।


प्राचार्य
Principal
अभियंता **Engineering College** मेर
Barmer

मैं उपरोक्त शर्त संख्या 1 से 41 पर पूर्ण रूप से सहमत हूँ तथा निविदा स्वीकृति होने पर समस्त शर्तें मानने को बाध्य हूँ।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय पूर्ण पता एवं दिनांक


Principal
Engineering College
Barmer

– संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं का विवरण –

S.No.	Nature of work	Class	No. of Workers	Approx Rate in Lac	Tender Fee	Security Fee 2%
1.	Humanities Science Lab Technician	उच्च कुशल	04 (1 Physics, 1 Chemistry, 2 Computer)	7.20	500	14400
2.	Engineering Lab Technician	कुशल	05 (1 Civil, 1 Mechanical, 1 Electrical, 1 Electronics & Communication, 1 Petroleum)	9.00	500	18000
3.	Office Staff PA cum Stanographer, Junior Clerk cum Computer Operators & Junior Accountant	कुशल/ उच्च कुशल	05 (1 PA cum Stanographer, 3 Clerk cum CO, 1 Jr. Acc.,)	7.26	500	14520
4.	Supporting Staff (Book Lifter, Peon, Driver)	कुशल	05 (1 Book Lifter, 3 Peon, 1 Driver)	6.00	500	12000
5.	Security Guard & Sweeper	अकुशल	09 (4 Security Guard, 5 Sweeper)	9.60	500	19200
कुल योग				39.06	2500	78120


प्राचार्य
Principal
 अभिनव इंजीनियरिंग कॉलेज, बार्मेर
Barmer

मैं उपरोक्त कार्य/सेवाओं को अनुबन्ध पर उपलब्ध कराने के लिए निविदा की सभी शर्तों पर पूर्ण रूप से सहमत हूँ तथा समस्त शर्तें मानने को बाध्य हूँ।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय पूर्ण पता एवं दिनांक

बिडिंग डाक्यूमेंट

1. निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट से दिनांक 14.02.2020 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 03.03.2020 को सायं: 5:00 बजे तक डाउनलोड (Download) कर सकते हैं। इन निविदाओं को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर 04.03.2020 को प्रातः 10:00 बजे तक जमा करायें।
2. प्राप्त निविदाएँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर कार्यालय प्राचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर में उपस्थित बिडदाताओं व उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 04.03.2020 को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी।
3. निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। निविदा प्रपत्र को वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता के लिए नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित है। बिडदाता इन प्रपत्रों को, डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।
4. बिडदाता द्वारा निविदा शुल्क एवं अमानत राशि प्राचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर के नाम तथा निविदा प्रक्रिया शुल्क मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में महाविद्यालय कार्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर में दिनांक 04.03.2020 को मध्याह्न 12:00 बजे तक भौतिक रूप से जमा कराना आवश्यक है। इसके अभाव में संवेदक की निविदा नहीं खोली जावेगी।

ई-टेन्डरिंग के लिए बिडदाता हेतु निर्देश

1. ई-निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले बिडदाता निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।
2. निविदाओं में भाग लेने वाले बिडदाताओं को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट-2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आएगा।
3. बिडदाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बिडदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

4. बिडदाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रानिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट व डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा, कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
5. ऑनलाईन निविदाएँ निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्तानुसार खोली जाएगी।
6. इलेक्ट्रानिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व बिडदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्र में संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गई है।
7. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रानिक जमा कराने में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
8. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
9. निविदा सूचना इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
10. अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।
11. इस निविदा के अन्तर्गत यदि कोई आवश्यक संशोधन हुआ तो उसे वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जावेगा जिसका अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
12. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सम्पूर्ण दस्तावेज स्पष्ट रूप से पठन योग्य होने चाहिए अन्यथा अपठन दस्तावेज को निविदा प्रपत्र में संलग्न दस्तावेजों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।



प्राचार्य

अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर
Principal
Engineering College
Barmer

परिशिष्ट – 1

टर्न ऑवर प्रमाण पत्र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा जारी किये हुए दस्तावेजों के आधार पर

ई-निविदा सूचना क्रमांक दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि मै./फर्म

..... के विगत वर्षों का टर्न ऑवर सी.ए. ऑडिट रिपोर्टों के अनुसार निम्न प्रकार से है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ऑवर राशि	संबंधित संलग्नक का पेज नम्बर	विशेष विवरण

उक्त विवरण विगत उल्लेखित वित्तीय वर्षों की सी.ए. ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर सत्य है।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय पूर्ण पता एवं दिनांक


Principal
Engineering College
Barmer

परिशिष्ट – 2

अनुभव प्रमाण पत्र

ई-निविदा सूचना क्रमांक दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि मै./फर्म
..... के विगत वर्षों का कार्मिक उपलब्ध कराये जाने का अनुभव विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र.सं.	नाम संस्थान जिसमें कार्मिक उपलब्ध कराये गये	अवधि (दिनांक से दिनांक तक)	अनुभव अवधि वर्ष/माह	संबंधित संलग्नक का पेज नम्बर

उक्त विवरण हमारी संस्था/फर्म द्वारा दिया गया जो सही है विवरण के संबंध संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र साथ में संलग्न किये हुए है, जो किसत्य है।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय पूर्ण पता एवं दिनांक


Principal
Engineering College
Barmer

ENGINEERING COLLEGE BARMER

(An Autonomous Institute of Govt. of Rajasthan)

QUALIFICATION & EXPERIENCE FOR SERVICES PROVIDED BY CONTRACTOR

1. PA cum Stenographer

- (i) Passed 12th examination from recognized Board/University.
- (ii) "O" or higher level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.

Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme.

OR

Diploma in Computer Science/Computer Applications of a University established by law in India or of an institution recognized by the Government.

OR

Diploma in Computer Science & Engineering from Polytechnic Institution recognized by the Government.

OR

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RS-CIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.

- (iii) One year working experience as steno or Two years working experience as office assistant.

OR

Three years working experience as LDC.

- (iv) Shorthand dictation of 100 words per minute with transcription of typing of dictated passage speed 35 wpm on computer in Hindi and English.

- (v) Typing Speed of 40 wpm (English) and 30 wpm (Hindi) on computer.

Note: Working Experience of College/Organization shall be counted.

2. Technician Grade 'C'

(ECE/Civil/Electrical/Mechanical/Petroleum)

- (i) Passed 10th examination from recognized Board/University.
- (ii) Knowledge of Computer Application.
- (iii) ITI or equivalent in relevant field with two years working experience in recognized Industry/ Concerned Trade or Diploma in relevant field.

Note: Working experience of College/Organization shall be counted.

3. Technician Grade 'C'

(Physics, Chemistry)

- (i) Passed 12th Science Stream examination from recognized Board/University.

- (ii) Knowledge of Computer Application.
- (iii) Lab work or equivalent in relevant field with two years working experience in recognized Industry/ Concerned Trade or Diploma in relevant field.

4. Technician Grade 'C'

(Computer)

- (i) Passed 12th examination from recognized Board/University.
- (ii) Knowledge of Software, Hardware & Networking.
- (iii) "O" or higher level certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.

OR

Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme.

OR

Diploma in Computer Science/Computer Applications of a University established by law in India or of an institution recognized by the Government.

OR

Diploma in Computer Science & Engineering from Polytechnic Institution recognized by the Government.

OR

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RS-CIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.

- (iii) Typing Speed of 40 wpm (English) and 30 wpm (Hindi) on Computer

Note: Working experience of College/Organization shall be counted.

5. Junior Clerk cum Computer Operators

- (i) Passed 12th examination from recognized Board/University.
- (ii) "O" or higher level certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.

OR

Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme.

OR

Diploma in Computer Science/Computer Applications of a University established by law in India or of an institution recognized by the Government.

OR

Diploma in Computer Science & Engineering from Polytechnic Institution recognized by the Government.

OR

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RS-CIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.

- (iii) Typing Speed of 40 wpm (English) and 30 wpm (Hindi) on Computer

Note: Working experience of College/Organization shall be counted.

6. Junior Accountant

- (i) Passed B.Com examination from recognized College/University.
- (ii) Telly certificate course or knowledge of Telly & Account work.
- (iii) Typing Speed of 40 wpm (English) and 30 wpm (Hindi) on Computer

Note: Working experience of College/Organization shall be counted.

7. Book Lifter

- (i) 12th Passed examination from recognized board/university.
- (ii) Certificate/Diploma in Library Science from recognized Board/University.
- (iii) "O" or higher level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.

Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme.

OR

Diploma in Computer Science/Computer Applications of a University established by law in India or of an institution recognized by the Government.

OR

Diploma in Computer Science & Engineering from Polytechnic Institution recognized by the Government.

OR

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RS-CIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.

- (iv) Typing Speed of 40 wpm (English) and 30 wpm (Hindi) on Computer.

Note: Working experience of College/Organization shall be counted.

8. Driver

- (i) Passed 8th Class with heavy or light Duty Driving Licence.
- (ii) Three years working experience as a Driver and must also possess the following:-
 - Sight 6x6 with or without glasses.
 - Knowledge of road side repairs & efficiency in Driving to be examined through a Trade Test.

Note: Working experience of College/Organization shall be counted.

9. Class IV

- (i) Passed 8th Class Desirable :
- (ii) One year experience of working in office/lab of College/Institute.

Note: Working experience of College/Organization shall be counted.